



COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K. Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
CHANDGOTHI (CHURU)



Dr. S. M. Kumawat
Professor & Dean

Email: coacdug@raubikaner.org
Mobile: 9782815123

No. COACDUG/SKRAU/2025/1649

निविदा सूचना

Date: 10/09/2025

कृषि महाविद्यालय, चाँदगोठी द्वारा कार्यालय/क्षेत्र भ्रमण एवं शैक्षणिक भ्रमण उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराया/अनुबंध पर लेने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पार्टी/निविदादाता, निविदा प्रपत्र दिनांक 24/09/2025 दोपहर 12.00 बजे तक कृषि महाविद्यालय, चाँदगोठी कार्यालय से निविदा शुल्क 500/- रुपये नगद भुगतान अथवा विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेजों, निविदा शुल्क 500/- रुपये (यदि निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया गया हो) व प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ एक बंद लिफाफे में कृषि महाविद्यालय, चाँदगोठी कार्यालय में अंतिम तिथि 24/09/2025 दोपहर 1.00 बजे तक जमा कराना होगा। प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन 2.00 बजे खोली जाएगी। देरी से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

क्र.स.	विवरण	वाहन का प्रकार	अनुमानित लागत (लाख में)	प्रतिभूति राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	कार्यालय उपयोग के लिए (स्थानीय एवं जिले से बाहर) प्रति माह दर से	5/7 सीटों वाला एसी वाहन	3.00	6000/-	कार्य/आपूर्ति आदेश के अनुसार
2.	राजस्थान अथवा राजस्थान के बाहर जाने हेतु	52 से 56 सीटर एसी बस 17 से 22 सीटर एसी बस 52 से 56 सीटर नॉन-एसी बस 17 से 22 सीटर नॉन-एसी बस	3.00	6000/-	कार्य/आपूर्ति आदेश के अनुसार

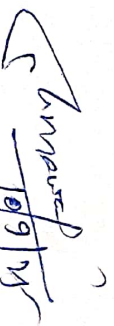
निविदादाता की किसी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी। निविदा को बिना किसी कारण बताएँ निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।


(एस. एम. कुमावत)

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- श्रीमान वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय : बीकानेर।
- श्रीमान संकाय अध्यक्ष (कृषि), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।
- चेयरमैन/अध्यक्ष/सदस्य निविदा समिति
- सूचना पट्ट - कृषि महाविद्यालय, चाँदगोठी/रेकड शाखा/स्थापना शाखा


(एस. एम. कुमावत)

अधिष्ठाता

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम :

2. निविदा क्रमांक/ संदर्भ :

मैं/हम निम्न दरों पर निविदा की शर्तों के अनुसार वाहन किराए पर उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ/हैं।

(अ) कार्यालय उपयोग के लिए (स्थानीय एवं जिले से बाहर) प्रति माह दर से

क्र.स.	विवरण/वाहन का प्रकार	राज्य में वाहन उपयोग में लेने हेतु दर प्रति किलोमीटर (टोल टेक्स + पार्किंग अतिरिक्त देय)	
1.	5/7 सीटों वाला एसी वाहन*	प्रतिमाह निर्धारित 1500 कि. मी. तक चलने पर राशि (रुपये) एकमुश्त	निर्धारित (प्रतिमाह 1500 कि.मी.) से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर दर (रुपये) में

*चार वर्ष से अधिक पुराना वाहन (वर्ष 2021 से पूर्व का) मान्य नहीं।

(ब) वाहन राजस्थान अथवा राजस्थान के बाहर उपयोग में लेने हेतु

क्र.स.	विवरण/वाहन का प्रकार	वाहन राज्य में उपयोग लेने हेतु दर प्रति किलोमीटर (टोल टेक्स + पार्किंग अतिरिक्त देय)	राज्य के बाहर दर प्रति किलोमीटर (टोल टेक्स + पार्किंग अतिरिक्त देय)
1.	52 से 56 सीटर एसी बस		
2.	17 से 22 सीटर एसी बस		
3.	52 से 56 सीटर नॉन-एसी		
4.	17 से 22 सीटर नॉन-एसी		

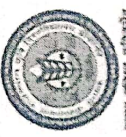
निविदादाता का नाम/फर्म का नाम व पता
आधार न./पैन न. (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



कृषि महाविद्यालय

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)



डॉ. एस.एम. कुमावत

अधिष्ठाता

ई मेल: coacd@raubikaner.org

मोबा.: 91 9782815123

निविदा की शर्तें

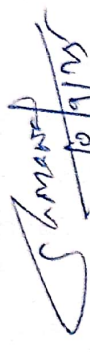
1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा/प्रदूषण आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिए।
2. अन्य वाहन जो फर्म के नाम से पंजीकृत नहीं है उनके साथ फर्म द्वारा किए गए एग्रीमेंट की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।
3. वाहन चालक साक्षर व उसके पास ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए। अन्य वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाइसेन्स की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद ही उसको यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।
4. इस निविदा की दरें 31 मार्च 2026 या बजट उपलब्ध होने तक मान्य होगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में तथा आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से वाहन उपलब्ध करवाने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
5. राजस्थान राज्य के बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिए जाने पर वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों कोई न्यूनतम किलोमीटर प्रति दिन की दूरी से गणना करके या यात्रा करने के दौरान कुल तय की गई दूरी में से जो भी ज्यादा हो के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।
 - अ) वाहन 250 कि.मी. से कम चलने पर न्यूनतम 250 कि.मी. प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा।
 - ब) दिन की गणना वाहन उपयोग लेने वाले अधिकारी के पास वाहन पहुँचने की दिनांक अथवा यात्रा पूर्ण कर अधिकारी द्वारा वाहन को छोड़ने की दिनांक से की जायेगी।
- उदाहरणार्थ - 1) यदि वाहन संबन्धित अधिकारी के पास दिनांक 26.10.2025 को पहुँचता है तथा अधिकारी यात्रा पूर्ण करके दिनांक 27.10.2025 को वाहन छोड़ता है (24 घंटे से अधिक होने पर) तब दो दिन गिने जायेंगे।
- 2) यदि वाहन 505 कि.मी. लगातार उपयोग में लिया जाता है तो उसे 505 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा, चाहे दिनांक 26.10.2025 को वाहन 305 कि.मी. उपयोग किया गया तथा 27.10.2025 को 200 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।
- 3) यदि वाहन 475 कि.मी. उपयोग में लिया हो तो है उसे 500 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा, चाहे दिनांक 26.10.2025 को वाहन 285 कि.मी. उपयोग किया गया तथा 27.10.2025 को 190 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।
6. कि.मी. की गणना यात्रा पर खाना होने के स्थान अथवा अधिकारी के निवास/कार्यालय से मानी जायेगी। जिसका इंद्राज लोग बुक में करके वह अधिकारी के हस्ताक्षर कर बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करनी होगी।
7. वाहन की लोग बुक फर्म द्वारा वाहन चालक को उपलब्ध करानी होगी। लोग बुक प्रारूप महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा, जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी फर्म की होगी और दूसरे वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
8. असफल निविदादाताओं की केवल प्रतिभूति राशि उन्हें पुनः लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन जुड़ीशियल स्टाम्प पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। साथ ही उसे निविदा अनुमानित लागत की 3% प्रतिभूति राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी।
9. भुगतान हेतु PAN No. एवं बिल की दो प्रतियाँ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लोग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही बैंक खाते का विस्तृत विवरण बिल पर अंकित करना होगा।
10. यात्रा के दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना या कोई नुकसान होता है तो उसकी समस्त ज़िम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का क्लेम अथवा क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
11. टोल टेक्स एवं पार्किंग शुल्क का पुनर्भरण महाविद्यालय द्वारा किया जावेगा। इस हेतु टोल टेक्स व पार्किंग शुल्क की मूल रसीद बिल के साथ संलग्न करनी पड़ेगी। यात्रा पर जाने वाले अधिकारी को टोल टेक्स व पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
12. देय स्टेट टेक्स (राजस्थान से बाहर जाने पर) का पुनर्भरण महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा एवं फर्म को वाहन

के सम्पूर्ण दस्तावेज़ की आपूर्ति के साथ वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

13. निविदादाता को पूर्ण कार्यकाल के लिये जो दरें स्वीकृत की गई हैं उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा। ईंधन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. स्थानीय कार्य हेतु वाहन लेने पर न्यूनतम 100 कि.मी. देय है। 100 कि.मी. से अधिक चलने पर 100 कि.मी. की एक मुश्त राशि के अतिरिक्त प्रति कि.मी. राशि देय होगी। जो कि विश्व विद्यालय के नियमानुसार देय होगी।

15. कार्यालय उपयोग हेतु निविदित वाहन को कार्यालय समय पर महाविद्यालय परिसर में खड़ा रखना अनिवार्य होगा।
16. शैक्षणिक भ्रमण हेतु वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिया जाएगा। वाहन से संबंधित समस्त कागजात रखने की ज़िम्मेदारी वाहन मालिक/चालक की होगी। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायक्षेत्र चूरू रहेगा।


(एस. एम. कुमारी)
अधिष्ठाता

घोषणा

यह प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/बोर्ड अथवा किसी व्यक्ति के साथ कोई विवाद लंबित नहीं है। वाहन चालक परिवहन विभाग द्वारा चालान अनुज्ञप्ति है एवं मैंने / हमने निविदा शर्तों पूर्ण सावधानी पूर्वक एवं अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें अक्षरशः स्वीकार है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना या कोई नुकसान होता है, तो उसकी समस्त ज़िम्मेदारी मेरी होगी।

निविदादाता का नाम/फर्म का नाम व पता
आधार न./पैन न. (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर